



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 126043

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 18947 वर्ष 2026

मनोज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राजीव कुमार पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जयेंद्र कुमार मिश्रा, कीर्ति मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजीव कुमार पांडे और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से ए.जी.ए. श्री शिव दत्त शुक्ला की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा। पिछली बार जब 01.06.2026 को मामले पर सुनवाई हुई थी, तो श्री जितेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से श्री देवी आशीष त्रिपाठी ने इस मामले में

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वकालतनामा दाखिल किया था और मामले की सुनवाई आज दोपहर 02:00 बजे के लिए तय की गई थी। हालाँकि, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह ज़मानत अर्ज़ी आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 734/2025 (जो थाना अतरौली, ज़िला अलीगढ़ में बी.एन.एस.एस. की धाराओं 103(1), 109(1), 191(2), 131, 115(2) के तहत दर्ज है) में विचारण के दौरान ज़मानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एफआईआर में नामजद सभी 10 आरोपियों पर एक जैसी भूमिका का आरोप लगाया गया है; आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप विनय उर्फ छोटू को जानलेवा चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी आकाश चौधरी को इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन संख्या 18408/2026 में 27.05.2026 के आदेश के तहत पहले ही ज़मानत दे दी है, और आवेदक की भूमिका उक्त सह-आरोपी की भूमिका से अलग नहीं है। यह भी बताया गया है कि आवेदक 21.11.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और वह भरोसा दिलाता है कि ज़मानत मिलने पर वह अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित होने के कारण, विचारण के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को ज़मानत देने के अनुरोध का विरोध किया है और कहा है कि सभी अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप विनय उर्फ छोटू को जानलेवा चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।

5. एफआईआर के आरोपों के अनुसार, 10 नामजद आरोपियों ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप विनय उर्फ छोटू की मौत हो गई और पांच अन्य लोगों को कई चोटें आईं; उसे भी सिर पर मौत से पहले लगी एक चोट (एंटी-मॉर्टम हेड इंजरी) आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण सिर पर मौत से पहले लगी चोट बताया गया है। सिर पर लगी उस चोट को पहुंचाने के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। सह-आरोपी आकाश चौधरी को इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18408/2026 में 27.05.2026 को पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

6. मामले के सभी तथ्यों, प्रकृति और रिकॉर्ड से सामने आए सबूतों पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मुझे यह ज़मानत के लिए उपयुक्त मामला लगता है। इसलिए, ज़मानत की यह अर्जी **मंजूर** की जाती है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उक्त आपराधिक मामले में शामिल आवेदक - मनोज को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें पेश करे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

(i) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी बताने से रुकें या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करें।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।

(iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब विचारण न्यायालय में गवाह मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक को तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय में खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा।

8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत अर्जी पर फैसला करने के मकसद तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

4 जून, 2026

इम्तियाज

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।